dk;kZy; la;qDr lapkyd ,oa v/kh{kd xka/kh Lekjd fpfdRlky; jhok

';ke'kkg fpfdRlk egkfo|ky; ls lac) xka/kh Lekjd fpfdRlky;@lat; xka/kh Lef̀r fpfdRlky;@vk-ih-Mh- dk laiw.kZ Hkou ,oa ifjlj rFkk lHkh Nk=kokl] Vh-oh- okMZ] vkblksys'ku okMZ] fpfdRlky; ds iz'kklfud Hkouksa] ulsZl Nk=kokl ,oa fpfdRlky; ls yxs vU; ifjlj dh lQkbZ O;oLFkk A

fufonk QkeZ ,oa 'krsZ
o"kZ 2014&2015

dher :- 5000@&
¼:i;s ikap gtkj ek=½

प्रति,

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा

विषयः— साफ—सफाई व्यवस्था हेतु निविदा बाबत् ।

———0———

महोदय,

दैनिक समाचार पत्र ....दिनांक ....मे प्रकाशन के द्वारा ज्ञात हुआ, कि श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय/ संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/ओ.पी.डी. समस्त भवन तथा सभी छात्रावासों , टी.वी.वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, चिकित्सालय के प्रशासनिक भवनों, नर्सेस छात्रावास एवं परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। इस हेतु मेरे द्वारा निविदा से संबंधित निम्न प्रपत्र हस्ताक्षर कर आपके कार्यालय में जमा किये जा रहे हैः—

1. 100 शैययाओं वाले अस्पताल में कम से कम एक वर्ष का अनुभव जिसमे यांत्रिक सफाई कार्य (मशीन से सफाई) करने का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र। (ठेकेदार का कार्य रूपये 10.00 लाख वार्षिक से अधिक का होना अनिवार्य है)
2. सफाई कार्य मशीनों के माध्यम से पूर्व मे अन्य संस्थाओं मे किये गये कार्यों विषयक कार्योदेशों की प्रतियॉ।
3. श्रम आयुक्त केन्द्रीय अथवा राज्य में पूर्व किये गये कार्यो से संबंधित जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
4. आयकर रिटर्न एवं आयकर स्थायी लेखा संख्या की छायाप्रति।
5. वैट समाशोधन पत्रक एवं सेल टैक्स के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
6. सफलतापूर्वक पूर्ण किये गये कार्यो (वर्क कम्पलीशन सर्टिफिकेट) की प्रतियॉ।
7. प्रस्तावित कार्य के लिये सफाई सुपरवाइजर एवं सफाई कर्मीयों की सूची।
8. मशीनों एवं संयंत्रों की सूची।
9. मानव बल की संख्या — अकुशल।

दिनांक .... हस्ताक्षर ....
स्थान .... पूर्ण पता ....
....

&?kks"k.kk&i=&

1. मै/हम भारत का/के नागरिक हूॅ/है।
2. मै/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदाकार्य के लिये सक्षम हूॅ/है।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मै/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर, का जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्त्ता हूॅ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूॅ/करते है।
5. मेरे/हमारे द्वारा चिकित्सालयों मे साफ–सफाई व्यवस्था की गुणवत्ता ठीक न पाये जाने पर उससे जो नुकसान होगा, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी स्वयं की होगी।
6. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तो के अलावा अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत नही की गयी है। यदि अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य माना जाये।
7. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है ।
8. मैं अपने कर्मचारियों को मिनिमम वेजेज एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कलेक्टर रीवा द्वारा घोषित अकुशल दर पर भुगतान करूॅगा।
9. मैं बालश्रम अधिनियम/श्रम कानून के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करूॅगा।
10. मेरे/हमारे द्वारा इस निविदा में भरी मूल्य दर से कम मूल्य दर की निविदा म0प्र0 राज्य की किसी संस्था या कार्यालय में प्रस्तुत नही की गई है ।

fnukad%

¼fufonkdkj d s gLrk{kj½

uke& --

i|jk irk& --

Qksu ,o a eksckbZ u-& --

¼fyQkQk Ø- ,½

';ke'kkg fpfdRlk egkfo|ky; ,oa mlls lac) fpfdRlky;

vuLVeuh jkf'k dk fooj.k ntZ dj lacf/kr ey nLrkost ds lkFk iFke fyQkQs es ^^ vuLVeuh nLrkost ^^ mYys[k djrs gq;s j[kuk gksxk

कार्य का नाम – श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय/ संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय तथा सभी छात्रावासों, टी.वी.वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, चिकित्सालय के प्रशासनिक भवनों, नर्सेस छात्रावास एवं परिसर की सफाई व्यवस्था।

सफाई ठेके हेतु जमा अर्नेस्टमनी से संबंधित एफ. डी. आर. का विवरणः–

क्रमांक	फ.डी.आर.का क्रमांक एवं दिनांक	बैंक का नाम	राशि	जारी होने का दिनांक	वैद्यता अवधि

कार्य का नाम – ....

निविदा क्रमांक एवं दिनांक – ....

निविदाकार का नाम – ....

हस्ताक्षर/दिनांक – ....

¼rduhdh fcM & fyQkQk Ø- c½
';ke'kkg fpfdRlk egkfo|ky; ,oa lac) fpfdRlky; jhok

कार्य का नाम – श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय संबंद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/ओ.पी.डी. का संपूर्ण भवन तथा परिसर तथा सभी छात्रावासों, टी.वी. वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, चिकित्सालय के प्रशासनिक भवनों, नर्सेस छात्रावास एवं चिकित्सालय से लगे अन्य परिसर की सफाई व्यवस्था ।

fufonkdkj }kjk rduhdh fcM gsrq iLrqr dh tkus okyh tkudkjh

निविदाकार का नाम :–

Øekad	rduhdh ekin.M	fjekdZ
1.	अर्नेस्टमनी रू. 3,00,000/–(रू. तीन लाख रूपये मात्र) का एफ.डी.आर. जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के नाम देय हो संलग्न करे। (निविदा शर्त क्र. 2)	
2.	सफाई एजेंसी की स्थापना का पंजीयन क्रमांक तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र।(निविदा शर्त क्र. 3)	
3.	100 बिस्तर वाले अस्पताल मे सफाई का एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति। (निविदा शर्त क्र. 3)	
4.	यांत्रिकी सफाई का एक वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति। (निविदा शर्त क्र. 3)	
5.	आई.एस.ओ. 9000:2001 प्रमाण पत्र प्राप्त। (निविदा शर्त क्र. 5)	
6.	सफाई एजेंसी को 10.00 लाख प्रतिवर्ष अथवा इससे अधिक तक के कार्यो का अनुभव विवरण एवं संपादित ठेकों की राशि का विवरण। (निविदा शर्त क्र. 6)	
7.	सेवा कर प्रदाता के रूप मे पंजीयन होने का प्रमाण पत्र।(निविदा शर्त क्र. 3)	
8.	आयकर विभाग द्वारा जारी तीन वर्श का आयकर रिर्टन प्रमाण पत्र आयकर/अन्य कर बकाया न होने का प्रमाण पत्र अथवा घोषणा पत्र नोटरी से सत्यापित। (निविदा शर्त क्र. 9)	
9.	तीन वर्षो की चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित बैलेंस सीट की स्व–प्रमाणित छायाप्रति।(निविदा शर्त क्र. 10)	

10.	फर्म द्वारा पालन किये जाने वाले केन्द्रीय एवं म.प्र. शासन के श्रम एवं अन्य कानूनों का नाम तथा उनके संबंध में यदि फर्म का पंजीयन आवश्यक हो तो पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक तथा पंजीयनों की स्व–प्रमाणित छायाप्रति।(निविदा शर्त क्र. 7)	
11.	निविदाकर्त्ता द्वारा खरीदी गई मशीनों का खरीदी दिनांक तथा उनके तकनीकी निरीक्षण की रिपोर्ट जिसमे उन्हें कार्यक्षम घोषित किया गया हो।(निविदा शर्त क्र. 7)	
12.	आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन न.) की प्रति।(निविदा शर्त क्र. 3)	
13.	निविदाकर्त्ता द्वारा स्वतः का घोषणा पत्र की वे इस महाविद्यालय एवं संबंद्ध चिकित्सालय के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से रिश्तेदारी नही है।(निविदा शर्त क्र. 12)	

ukV%&

'kr& 1- निविदाकर्ता द्वारा अगर कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो उसका ठेका निरस्त करने का तथा सुरक्षा राशि राजसात करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा को होगा।

2. तकनीकी बिड मे प्रयुक्त समस्त प्रमाण पत्र को तकनीकी बिड के सीरियल न0 के अनुसार संलग्न करे।

निविदाकार का नाम – ....

हस्ताक्षर/दिनांक – ....

¼foRrh; fufonk & ikbl fcM½
';ke'kkg fpfdRlk egkfo|ky; ,oa lac) fpfdRlky; jhok

कार्य का नाम – श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय / संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय तथा सभी छात्रावासों, टी.वी.वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, चिकित्सालय के प्रशासनिक भवनों, नर्सेस छात्रावास एवं परिसर की सफाई व्यवस्था।

निविदा क्रमांक .... दिनांक ....

fufonk i=k= esa layXu f'kM;wy ds vuqlkj
lkQ&lQkbZ ds dk;Z ds fy;s ekfld nj

क्रमांक	विवरण	राशि	
		अंको में	शब्दों में
1.	निविदा प्रपत्र में संलग्न शिड्यूल के अनुसार साफ–सफाई के कार्य (ए) के लिये मासिक दर		
2..	संस्था का व्यय		
3.	करो की राशि का उल्लेख अलग –अलग करें।		
4.	कुल राशि प्रतिमाह		

निविदाकार का नाम – ....

हस्ताक्षर / दिनांक – ....

I kQ& I Qkb! 0;oLFkk gsr| fufonk 'kr! ,o| fu;e

1. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा , संबंद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/ओ.पी.डी. का संपूर्ण भवन तथा परिसर तथा सभी छात्रावासों, टी.वी. वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, चिकित्सालय के प्रशासनिक भवनों, नर्सेस छात्रावास एवं चिकित्सालय से लगे अन्य परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु वर्ष 2014–15 के लिये निविदा सील बंद लिफाफे मे आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म एवं शर्तो की प्रति अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय मे दिनांक 05.07. 2014 .तक सायं 5.00 बजे तक रू. 5000/– (पॉच हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जमा कर प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र 17.07.2014 को सायं 5.00 बजे तक अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। निविदा दिनांक 18.07.2014 को दोपहर 12.30. बजे अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा कार्यालय के सभागार मे खोली जायेगी। जिसमे निविदाकर्ता या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।
2. अर्नेस्ट मनी रू. 3,00000/– (रू. तीन लाख रूपये मात्र) का एफ.डी.आर.,जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो तथा संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के नाम देय हो तथा उसकी वैधता अवधि एक वर्श से कम न हो निविदा के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा ।
3. निविदा प्रपत्र जमा करते समय निम्न उल्लेखित सत्यापित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।
    1. संस्था का पंजीयन क्रमांक तथा प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति ।
    2. 100 बेड वाले चिकित्सालय में कार्य करने का कम से कम एक वर्ष का कार्य अनुभव तथा मशीनों द्वारा सफाई कार्य (मशीन से सफाई) करने का 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र ।
    3. श्रम आयुक्त, केन्द्रीय अथवा राज्य मे श्रम नियमों के अंतर्गत कराये गये पंजीयनो के प्रमाण पत्र।
    4. आयकर के स्थायी लेखा संख्या (पेन कार्ड.) की छायाप्रति।
    5. सेवा कर प्रदाता के रूप मे पंजीयन होने का प्रमाण, सेल टैक्स का रजिस्ट्रेशन (टिन न.) की प्रति।
    6. गत एक वर्ष का सफलतापूर्वक पूर्ण किये गये कार्य (वर्क कम्पलीशन सर्टिफिकेट) की प्रति।
    7. मशीनों एवं संयंत्रों की सूची ।

I. Single Disc Machines

II. Scrubber Driers Ride-on

III. Stair Cleaning Machines

4. बाथरूम की सफाई हर एक घण्टे में होनी चाहिये, वार्ड की सफाई दिन में चार बार तथा रात में दो बार, बरान्डे की सफाई दिन में तीन बार तथा ओपेन ऐरिया की सफाई सप्ताह में तीन बार होना आव यक है।
5. आई.एस.ओ. 9000: 2001 प्रमाण पत्र प्राप्त संस्थाओं को अन्य ठेकेदारों की तुलना में वरीयता दी जावेगीं।
6. ठेकेदार को ऐसे बडे संस्थानों जहाॅ 200 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हो मे मशीन से सफाई कार्य कराने का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिये। इस हेतु संस्था के प्रमुख द्वारा जारी किया गया, इस आशय का प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। साथ ही संबंधित संस्था द्वारा जारी किये गये कार्यादेश की प्रतिलिपि संलग्न करना होगी। कार्य का वार्षिक मूल्य रूपये 10.00 लाख या उससे अधिक होना आवश्यक है।
7. निविदाकर्ता के द्वारा निविदा स्वीकृति के उपरान्त प्रयोग की जाने वाली सफाई मशीनों की तकनीकी परीक्षण किया होने विषयक रिपोर्ट जिसमे उन्हे कार्यक्षम घोषित किया गया हो, अधीक्षक के सम्मुख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. सफाई कर्मियों को साक्षर होना अनिवार्य होगा तथा सफाई सुपरवाइजरों का 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना तथा हिन्दी/अंग्रेजी का ज्ञान होना वांछित होगा, समस्त कर्मियों का मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र वांछित होगा। इन कर्मियों का पुलिस सत्यापन कराना आवश्यक होगा। निविदाकर्ता को निविदा आवेदन करते समय सूची देना अनिवार्य होगा एवं निविदाकार को अपनी तरफ से सफाई कर्मियों को नीले कलर की एवं सुपरवाइजरो को खाखी कलर की स्वच्छ वर्दी पहनाना अनिवार्य होगा। इसके लिये संस्था के द्वारा कोई भी राशि पृथक से देय नही होगी। कोई भी सफाईकर्मी/सुपरवाईजर जो कार्य से जुडा हो सजायाफता/जघंन्य अपराध का आरोपी नहीं होना चाहिये ।
9. निविदाकर्त्ता को पिछले तीन वर्शो यथां वर्श 2011—12, 2012—13 एवं 2013—14 के आयकर रिर्टन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
10. संस्था का तीन वर्ष का चार्टड एकाउन्टेंस की बैलेंस सीट की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
11. निविदा मुहर बंद लिफाफे में पंजीकृत डाक/हस्ते भेजी जानी चाहिये। निविदा दिनांक

.17.06.2014 को सायं 5 बजे तक अनिवार्य रूप से कार्यालय में पहॅुच जाना चाहिये। निर्धारित तिथि व समयावधि के पश्चात् प्राप्त हुई निविदा पर कोई भी विचार नहीं किया जावेगा। दिनांक 18.07.2014 को दिन के 12.30 बजे निविदा खोली जावेगी, उस अवधि में निविदा दाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकते है। डाक से भेजी गई निविदा विलंब से प्राप्त होने पर मान्य नहीं होगी ।

12. ठेकेदार से यदि इस महाविद्यालय के कर्मचारी/अधिकारी से रिस्तेदारी है तो उसका विवरण प्रस्तुत करना होगा।

13. निविदा मे तकनीकी रूप से योग्य घोषित फर्मो की ही मूल्य संबंधी बिड खोली जायेगी, अतः आवेदक निविदाकार अर्नेस्ट मनी, तकनीकी बिड (प्रपत्र ,½ एवं मूल्य की बिड (प्रपत्र Ch½ अलग–अलग दो लिफाफों में सील बंद करके उन्हें एक बडे लिफाफें lh मे रखकर तथा उसे भी सीलबंद कर प्रस्तुत करेगें। Ch लिफाफा तभी खोला जावेगा जब प्रपत्र ए लिफाफा अर्नेस्ट मनी सहित उपलब्ध होगा।

14. ठेकेदार द्वारा निविदा में घोषित राशि मे ठेके कार्यो कों सम्पादित करने वाले सभी कर्मचारियों के ड्यूटी रोस्टर, लेबर रजिस्ट्रेशन, फ्री टैक्सेज वगैरह सम्मिलित होगें। इसका कोई भी भुगतान अलग से चिकित्सालय द्वारा देय नहीं होगा।

15. निविदा मूल्याकंन के अनुसार ठेका जनहित/चिकित्सालय हित में स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा को होगा।

16 जिस ठेकेदार के पक्ष मे ठेका स्वीकृत होगा उसके संबंध मे यह माना जावेगा कि उसने उक्त सभी शर्ते अच्छी तरह से पढ ली एवं समक्ष ली है। वे सभी शर्ते उसे स्वीकार है तथा उन्हीं शर्तो के अंतर्गत उसने ठेका हेतु निविदा प्रस्तुत की है।

17. अनुबंध की अवधि ठेका प्रारंभ होने के दिनांक से 1 वर्श के लिये होगी ।

18. सफाई कार्य के लिये उपयोग मे लाई जाने वाली समस्त सफाई सामग्री जैसे मशीनें, झाडू, पोछां, कपडा, सोप, फिनायल, बैक आउट कैमिकल्स कर्मचारी की सुरक्षा के लिये प्रयोग में आने वाली सामग्री इत्यादि की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी।

19. ठेका स्वीकृत होने पर ठेकेदार को स्वयं के खर्चे पर रू. 100/– नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र सात दिन के अन्दर लिखित रूप मे संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध पत्र मे दोनो पक्षों के हस्ताक्षर होगें।

20. निविदादाता को निविदा की शर्तो के एवं संलग्न समस्त प्रपत्रों के समस्त पृष्ठों पर नाम एवं हस्ताक्षर कर रबर स्टेम्प लगाना अनिवार्य होगा।

21. साफ–सफाई कार्य स्थल पर ठेकेदार तथा उसके कर्मचारी शराब अथवा अन्य मादक वस्तुओं का सेवन नहीं करेगे। उनका व्यवहार जनता, विद्यार्थी डाक्टर्स, व कर्मचारियों के प्रति सौम्य एवं नम्रता का होना चाहिये। शिकायत प्राप्त होने पर ठेकेदार के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी जो आर्थिक शस्ति, संबंधित कर्मचारी को कार्य से हटाने विषयक हो सकेगी।

22. ठेकेदार के कर्मियों का व्यवहार सन्तोषप्रद् न होने पर या भर्ती मरीजो व उनके परिजनों के द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर अथवा किसी भी प्रकार की शर्तो का उल्लंघन करने पर ठेकेदार के विरूद्ध आर्थिक दण्ड, संबंधित कर्मी को हटाना या गंभीर प्रकरण मे ठेका समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी। इसका पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा को होगा। धरोहर की पूरी अथवा अंशिक राशि जप्त की जा सकेगी।

23. ठेकेदार के द्वारा अपनी ओर से दी गई कोई भी शर्त मान्य नही होगी।

24. निविदा फार्म क्रय शुल्क वापस नही किया जावेगा। निविदा फार्म अहस्तातरणीय है।

25. निविदाकार को मिनिमम वेजेज एक्ट के प्रावधानों कें अनुसार अपने कर्मचारीयों को भुगतान कलेक्टर रीवा द्वारा घोषित अकुशल दर पर करना होगा। उनका वेतन/मजदूरी सीधे बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जावेगा एवं वेतन से कटौती प्रतिमाह जमा कराने के लिये निविदाकार उत्तरदायी होगा एवं ई.पी.एफ., ई.एस.आई. एवं सर्विस टैक्स भारतीय स्टेट बैंक मे जमाकर चालान की छायाप्रति देयक के साथ प्रस्तुत करने पर ही आगामी देयक का भुगतान किया जावेगा।

26. निविदाकार को देय भुगतान से नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर कटौती की जाकर ही भुगतान देय होगा।

27. निविदाकार सफाई का देयक संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक कार्यालय में प्रस्तुत करेंगें जिसकी जांच एवं सत्यापन अधीक्षक कार्यालय द्वारा किया जावेगा । भुगतान हेतु देयक अधिश्ठाता कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा । भुगतान अधिश्ठाता कार्यालय द्वारा ही निविदाकार को किया जावेगा ।

lkQ&lQkbl dk dk;{k=%&

1. गांधी स्मारक चिकित्सालय – 54344 वर्गफिट (लगभग)।
2. संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय – 44036 वर्गमीटर (आन्तरिक) एवं बांउड्री बाल के भीतर खुले स्थानों की साफ–सफाई।
3. यू.जी. छात्रावास – 2553.21 स्क्वायर मीटर।
4. पी.जी. छात्रावास – 1630.10 स्क्वायर मीटर।
5 कन्या छात्रावास – 2622 स्क्वायर मीटर।
6 ओ.पी.डी. –41000 वर्गफिट।
7. ओ.पी.डी. संजय गांधी एवं गांधी मेमोरियल हास्पिटल के खाली पड़े प्रांगण की साफ सफाई करना अनिवार्य है।
8. वार्डो की सफाई दिन में चार वार रात में दो वार तथा बाथरूम व वा ारूम की सफाई हर घंटे में की जानी है।
9. डा. ड्यूटी नर्सेस ड्यूटी रूम एवं नर्सेस ड्यूटी स्टेसन की सफाई मानक अनुसार की जानी चाहिए।

10. वार्डो की टाइल्स दिवार एवं खिड़की दरवाजे पलंग अलमिरा स्टेण्ड इत्यादि की सफाई करनी होगी तथा वार्डो की सफाई नियमित रूप की जावेगी । सफाई मे ज्यादा तर म ीनो का उपयोग किया जाए यह भी निविदाकार को ध्यान में रखना पड़ेगा।

11. सम्पूर्ण चिकित्सालय के पेट्स कन्ट्रोल का कार्य जैसेः– मधुमख्खी,चूहे,बिल्ली,कुत्तो तथा पलंगो से खटमल काकरोच एवं मच्छरो का निदान । ये समस्त कार्य निविदाकार को करना होगा तथा वर्श मे कम से कम चार वार इस कार्य मे निपुण एवं मान्यता प्राप्त संस्था के द्वारा कराया जाना होगा।

12. सफाई मे लगने वाले सभी समान जैसेः– साबुन पावडर,ड्रेसिंग पावडर, फिनायल,बेकआउट, कैमिकल तथा ऊपर दर्शाई गई मशीनो की सफाई संबंधी सामग्री की व्यवस्था निविदाकार को स्वयं करनी होगी तथा इनमे किसी प्रकार से कमी पाए जाने पर निविदाकार जावबदेय होगें इसका अलग से भुगतान देय नही होगा।

13. चिकित्सालय मे लगे हुए डक्ट की सफाई एवं उसका प्रबंधन लोक निर्माण विभाग से सामंजस स्थापित कर निविदाकार को करना होगा।

14. सफाई मे किसी प्रकार की चूंक पाए जाने पर निविदाकार को आर्थिक दंड रूपये 10,000 (दस हजार) तक का जुर्माना करने का अधिकार संयुक्त संचालक अधीक्षक एवं रूपये 50,000 (पचास हजार) तक का जुर्माना करने का अधिकार अधिश्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा को होगा ं।

15. चिकित्सालय के प्रागंण में नाली तथा सीवेज टनल की सफाई भी समय समय पर निविदाकार को तकनीकी वि ोशज्ञो की राय एवं मांग पर करनी होगी।

16. मशीनो का उपयोग ज्याद से ज्यादा जगह पर किया जाए जिससे मेन पावर को बचाया जा सके । अधिश्ठाता के निर्देशुनसार सफाई कर्मचारियो की कमी की जा सके इस हेतु निर्धारित की गई मशीनों को चिकित्सालय में प्रतिदिन उपयोग करना होगा तथा सप्ताहिक रिपोर्ट संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक अथवा उनके द्वारा नांमांकित प्रतिनिध द्वारा सत्यापित कराना होगा।

इसके अतिरिक्त निविदाकार को चिकित्सालय मे संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक द्वारा जहॉ भी उपयुक्त समझा जावेगा वहॉ की सफाई निविदाकार को करानी आवश्यक होगी।

25. निविदा में उल्लेखित समस्त कार्य क्षेत्र मे सफाई के कार्य के साथ–साथ इमरजेन्सी समय मे मरीजो को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चिकित्सालय परिसर मे विभिन्न कार्यो के लिये लाना ले जाना व मरीजो से संबंधित कार्यो मे सहयोग देना वांछित होगा।

26. ठेकेदार निविदा देने की तिथि के पूर्व प्रस्तावित कार्यो का अवलोकन कर कार्य के स्वरूप का पूर्ण अध्ययन कर निविदा दर देवेगें।

27. सफाई 24 घण्टे रखना ठेकेदार का दायित्व होगा। इस तरह जब और जैसे जहॉ पर भी सफाई की आवश्यकता होगी उन्हे यह कार्य तुरन्त सम्पादित करना होगा।

28. ठेकेदार द्वारा उपयुक्त कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल अधिष्ठाता, श्यामशाह चिकित्सा गमहाविद्यालय, रीवा से अनुमोदन प्राप्त कर किया जावेगा एवं काकरोच एवं कीडे, मच्छर,मख्खी इत्यादि एवं प्रजनन स्थल न हो तथा अस्पताल मे इसकी उपस्थित न हो इसको सुनिश्चित करना होगा। कीटों का समुचित निराकरण भी साफ–सफाई का एक हिस्सा होगा।

29. ठेकेदार द्वारा परिसर मे कुत्ते, बिल्ली, एवं चूहों से बचाव के तरीके अपनाये जावेगे तथा इनका नियंत्रण साफ–सफाई का हिस्सा होगा।

30. ठेकेदार को निविदा जमा करने के पूर्व सफाई कार्यक्षेत्रों एवं सफाई कार्यो के बारे मे पूर्ण जानकारी मौके पर उपस्थित होकर प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठेका चालू होने पर अधूरी और गलत सूचना का दोषारोपण चिकित्सालय प्रबंधन पर नही लागया जा सकेगा एवं इस आशय की किसी भी प्रकार कि शिकायत मान्य नहीं होगी।

31. चिकित्सालय प्रबंधन को उपर दर्शायें गये सफाई कार्यो मे महाविद्यालय/चिकित्सालयों की जरूरतों के अनुसार फेरबदल करने का अधिकार होगा। उपरोक्त परिवर्तन के कारण ठेकेदार को कोई अलग से भुगतान नहीं किया जावेगा।

I Qkbl deh%&

32. सफाई का कार्य अनुबंध अवधि मे प्रत्येक दिन लगातार चौबिस घण्टे होगा। ठेकेदार को इसके लिये पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराने होगे।

33. ठेकेदार को कम से कम सफाईकर्मी तत्कालिक सफाई कार्यो के लिये निम्नानुसार रखना अनिवार्य होगाः–

1. प्रत्येक शौचालय ब्लाक –1 सफाई कर्मी 7X 24 घण्टे तीन पारी में 7X 24 घण्टे
2. आपरेशन थियेटर –2 सफाई कर्मी 7X 24 घण्टे तीन पारी में 7X 24 घण्टे
3 मरीजों के जनरल वार्ड – प्रत्येक वार्ड मे 1–1 सफाई कर्मी 7X 24 घण्टे
4. दोनों आई.सी.यू (द्वितीय तल, तृतीय तल एवं एस.पी.डब्लू मे – 1–1 स्वीपर 7X 24 घण्टे तीन पारी में 7X 24 घण्टे
5. चिकित्सालय के सामने जो ओपन एरिया, पार्किंग एरिया एवं गार्डेन इत्यादी की सफाई सप्ताह में चार वार करनी होगी।
6. ओ.पी.डी. संपूर्ण भवन, वाथरूम एवं परिसर प्रांगण की साफ–सफाई का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा ।

निविदाकार को कम से कम 80 कर्मचारी कार्य पर लगाना होगा। भविष्य मे कार्य के अनुसार सफाई कर्मचारियों को कम या अधिक करने का अधिकार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्याम श्याह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा को होगा। उपरोक्त कर्मचारियों को सफाई एवं निर्धारित कार्यो के लिये 24 घंटे की निरंतरता रहेगी। सफल निविदाकार द्वारा मशीनों के माध्यम से सफाई का कार्य कराने एवं कर्मचारियों की संख्या घटाने की स्थिति मे प्राथमिक्ता दी जावेगी।

34. ठेकेदार को मजदूरी के भुगतान के संबंध मे म.प्र. शासन के समय समय पर जारी सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

35. ठेकेदार को सभी मजदूरों का किसी भी खतरे के विरूद्ध बीमा आदि स्वयं कराना होगा। किसी भी परिस्थिति में सफाई कार्य करते समय मजदूरों को आने वाली चोट या किसी दुर्घटना आदि के लिये चिकित्सालय प्रशासन द्वारा किसी भी तरह का दावा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

36. ठेकेदार के समस्त सफाई कर्मचारियों को निर्धारित स्वच्छ यूनिफार्म मे कार्य पर होना अनिवार्य होगा। सफाई के दौरान दस्ताने, गमबूट, नेमप्लेट, सफाई ट्रॉली मे जिसमे प्रबंधन का नाम अंकित हो कार्य करना अनिवार्य होगा, इस हेतु सफाई कर्मियों को नीले कलर की एवं सुपरवाईजरों को खाकी कलर के स्वच्छ यूनीफार्म पहनना अनिवार्य होगा ।

37. ठेकेदार द्वारा सफाई कर्मियों को स्वयं के व्यय पर जीव अपशिष्ट प्रबंधन एवं ठोस अवशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste management) के बारे मे प्रशिक्षण प्रदान कराना होगा तथा समस्त नियमों का पालन करवाना अनिवार्य होगा।

38- lrk"kin lkQ lQkbZ ds ekin.M fuEukuqlkj gksxs%&

1. फर्श पर किसी भी प्रकार का दाग व धब्बा न हो तथा बेडों पर भी किसी प्रकार का दाग व धब्बे न हो।
2. वार्डो मे पंलगों के नीचे जाले, गंदगी न हो तथा बैड साईड, लॉकर पर किसी प्रकार की धूल व गन्दगी न हो तथा उसमें कीडे मकोडे इत्यादि न हो।
3. वार्डो तथा अन्य स्थानों पर उपलब्ध उपकरणों पर धूल, गन्दगी, दाग व धब्बे न हो।
4. वार्डो तथा सम्पूर्ण चिकित्सालय भवन के परिसर मे किसी प्रकार की बदबू या दुर्गन्ध न हो।
5. कमरों की छत पर मकडी के जाले न हो, पंखो, रोशनदानों एवं एक्जास्ट फैन मे धूल एवं जाले, पाइप लाइन, ट्यूब लाइट पर धूल या किसी भी प्रकार के धब्बे न हो।
6. सफाई स्थलों की दिवारों पर तथा टाइल्स आदि पर धूल, गंदगी व पान थूक के धब्बे न हो। जहॉ आवश्यक हो वहॅा ठेकेदार डस्टबिन स्वयं के व्यय पर रखेगें एवं इनकी नियमित सफाई सुनिश्चित करेगें।
7. समय–समय पर कीट नाशक दवाओं का इस्तेमाल किया जावें एवं कॉकरोच एवं कीडे, मच्छर, मख्खी इत्यादि एवं उनके प्रजनन स्थल न हो तथा अस्पतालों मे इनकी उपस्थिति न हो। कीटों का समुचित निराकरण साफ–सफाई का एक हिस्सा होगा ।
8. परिसर मे कुत्ते, बिल्ली, सांप एवं चूहों से बचाव के तरीके अपनाये जावें तथा इनकी उपस्थिति न हो।
9. सफाई मे संभूत अवशिष्ट चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट स्थान तक स्वयं निविदाकार के कर्मचारीयों द्वारा परिवहन किया जावेगा।

lkQ&lQkbZ dk fujh{k.k o Hkqxrku%&

39. चिकित्सालय/महाविद्यालय के प्रबंधन द्वारा सफाई व्यवस्था सन्तोषजनक नही पाये जाने पर ठेकेदार को पुनः सफाई करानी होगी। विभागाध्यक्षों द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट के आधार पर ही कार्य का मूल्याकंन किया जावेगा एवं उनके कार्यक्षेत्र मे की गई सफाई का सत्यापन करने के पश्चात ही देयक का भुगतान किया जावेगा। कार्य मे कमी पाये जाने पर संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय,रीवा द्वारा कार्यो की गुणवत्ता अच्छी न होने पर अर्थदण्ड लगाया जावेगा।

40 निगरानी समिति यदि उपरोक्तानुसार अथवा आवश्यकतानुसार साफ–सफाई से संतुष्ट नही होता है, तो ठेकेदार को समिति की अनुशंसानुसार भुगतान के समय अर्थदण्ड निधार्रित कर देयक से काट लिया जावेगा।

41. यदि किसी कारण वश अथवा कर्मचारियो के कार्य न करने पर पूरे दिन अथवा किसी भी घण्टे मे कार्य नही किया जाता है, तो उस दिन के लिये किये जाने वाले भुगतान की दुगनी राशि अर्थदण्ड के रूप मे कटौती करने का निर्णय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा ले सकेगें।

42 मासिक संतोषप्रद रिपोर्ट के आधार पर प्रतिमाह निविदाकार द्वारा प्रस्तुत बिल का भुगतान किया जावेगा। निविदाकार को सफाई कर्मियों को भुगतान बैंक के माध्यम से करना अनिवार्य होगा। इसके लिये सभी कर्मचारियो का बैक मे खाता खोलकर पासबुक की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी ।

43. सफाई कर्मियो को भुगतान शासन के ई.पी.एफ./ई.एस.आई./सर्विस टैक्स नियमों के पालन करने का पूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा एवं इस पर जमा की गई राशि का छायाप्रति संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।

44. सफाई कर्मियों को कलेक्टर रीवा द्वारा घोषित अकुशल मजदूरी दर से कम का भुगतान ठेकेदार द्वारा नही किया जावेगा। निविदा स्वीकृत दर से कम राशि के भुगतान की शिकायत आने पर अधिष्ठाता/अधीक्षक द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

45- lkQ&lQkbZ dk;Z dk fy;s vko';d e'khusa&

. ठेकेदार को निम्नलिखित मशीनों द्वारा सफाई करानी होगी, जिनका मापदण्ड निविदा के साथ संलग्न करना होगा। ठेकेदार को मशीनों की समुचित संख्या की व्यवस्था स्वयं करनी होगी, ताकि सफाई कार्य निर्बाध रूप से जारी रह सकें।

स.क्र.	मशीन का नाम	मशीनों की न्यूनतम संख्या
1.	कामर्शियल स्क्रबर ड्रायर	04
2.	सिंगल डिस्क स्क्रबर/पॉलीशर	02
3.	वेट एण्ड ड्राई वैक्यूम क्लीनर	04
4.	ड्राई वैक्यूम क्लीनर	04
5.	हाई प्रेशर वाटर जेट	04
6.	वाड विहाइन्ड स्वीपर	04
7.	ट्राली, रबर के चकों के साथ	08
8.	राईड आन स्क्रब कम डायर	04
9.	झाडू पोछा साफ्ट स्क्रबर इत्यादी की व्यवस्था	पर्याप्त मात्रा में करनी होगी।

– ठेकेदार द्वारा उपयोग की जाने वाली मशीनों के लिये पर्याप्त लम्बाई की पॉवर केबिल का कनेक्शन बोर्ड सहित होना आवश्यक है।

– ठेकेदार को उसके कर्मचारीयों हेतु पर्याप्त मात्रा मे हेंड ग्लोब्ज एवं गमबूट, मास्क, सफाई ट्राली तथा सामग्री की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

– ठेकेदार द्वारा प्रांरभ से नई मशीनों का उपयोग करना अनिवार्य होगा तथा निविदा स्वीकृत होने के पूर्व तकनीकी परीक्षण की संतोषजनक रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा ठेका मान्य नहीं किया जावेगा।

– मशीनों के रखरखाब तथा मरम्मत हेतु ठेकेदार पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगें।

46. ठेकेदार को सफाई के लिये इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों की सुरक्षा एवं रख–रखाब स्वयं करना होगा। महाविद्यालय/अस्पताल द्वारा एक कमरा निशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था यथासंभव की जावेगी।

vU;%&

47. यह ठेकेदार की मुख्य जबाबदारी होगी, कि इस चिकित्सालय की किसी भी सम्पति को कोई क्षति न पहुचे। क्षति होने की स्थिति मे क्षतिपूर्ति की जबाबदारी ठेकेदार की होगी, जो उसके सुरक्षानिधि या देयक राशि से काट ली जावेगी एवं इस बारे मे चिकित्सालय प्रबंधन समिति का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

48. वार्डो के अतिरिक्त अन्य बाथरूमों आदि मे रखी–स्थापित सामग्री व अन्य सामग्री ठेकेदार के अधिपत्य मे दी जायेगी। उसकी सुरक्षा व रख–रखाब की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

49. ठेकेदार का व्यवहार संतोषजनक न होने पर या किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर व शर्तो का उल्लघंन करने पर अर्थदण्ड लगाने, सफाई कर्मियों को हटाने, उचित सामग्री की व्यवस्था न करने पर बगैर समय दिये मियाद पूर्व भी ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा को होगा। ठेके की धरोहर राशि जब्त करने पेनाल्टी के स्वरूप का भुगतान की जाने वाले पूर्ण या आंशिक राशि रोकने या राजसात करने का अधिकार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा को होगा।

50. ठेका स्वीकृत होने पर ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी को पुलिस से चरित्र सत्यापन कराने की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

51. न्यायालय संबंधी समस्त कार्यवाही रीवा न्यायालय के अन्तर्गत ही मान्य होगी।

52. ठेकेदार को सफाई का ठेका प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त सफाई कर्मियों को हाउस–कींपिग तथा बायोमेडीकल वेस्ट प्रबंधन (स्वयं के व्यय पर) करने का प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकृत के एक माह मे यह कार्य प्रारम्भ किया जाना होगा अन्यथा ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

53. ठेके के अधीन आने वाले शौचालयों मे समस्त नलो की टोटियों आदि का ध्यान सफाई कर्मियों को रखना होगा तथा आवश्यकतानुसार खराब टोटियों की स्थिति तथा साथ ही सफाई व्यवस्था क्षेत्र के विद्युत व्यवस्था के खराब पाइन्टों की स्थिति रख–रखाब विभाग को यथासमय सूचित करना होगी।

54. किसी कारण वश यदि निविदा समाप्ति के समय जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नही होती है तब तक निविदाकार को पूर्ववत नियम, शर्तो एवं उसी दर पर निविदा कार्य आगे संचालित करना अनिवार्य होगा।

55. निविदाकर्त्ता द्वारा अगर कोई असत्य जानकारी दी जाती है अथवा बीच मे कार्य बंद किया जाता है तो उसका ठेका निरस्त करने तथा सुरक्षा राशि राजसात करने का पूर्णं अधिकार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा को होगा।

56. सफल निविदाकर्ता द्वारा ठेका प्रारंभ करने के पूर्व रखे जाने वाले कर्मचारियों के नाम , पिता का नाम , जन्म तिथि पूर्ण पता फोटो के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

l;Dr lpkyd ,o v/kh{kd
xk/kh Lekjd fpfdRlky; jhok e-i-